ANCIAL EXPRESS

TUESDAY, JULY 31, 2018

Bounded: On the North by: Open, On the South by: Open, On the East by: Comman Passage, On the West by: Open

Date: 25.07.2018

Place: DLF PH-III, GURGAON

Sd/- Authorised Officer (Syndicate Bank)

>のは日本の日本中田の田下出いた。

In

mo de

CO

an

Th Th

au

ata

As Rs

sar

the

The

on

The bas

bes

bid.

be

bed The

IMIN

All S/o

Gau

Nor

The

ANT

Con Mob

E-m Toll I

Furti And

web This

Fina

Pla

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED

CIN: L74899HR1995PLC053860

Regd. Office: Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-121102, Haryana

Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133 Website: www.ace-cranes.com, Email Id: cs@ace-cranes.com

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account

This notice is published pursuant to the provision of sub section (6) of the Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and re-enactment thereof.

To comply with the aforesaid provisions, the Company shall transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more from FY 2010-2011(Final Dividend) in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) as set up by the Central Government by the due date i.e 31" October, 2018 as per Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and re-enactment thereof.

Accordingly, the Company has communicated all the concerned shareholders at their address registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) records, whose shares are liable to be transferred to relevant Account of IEPF Authority. The Company has also uploaded on its website www.ace-cranes.com, full details of containing names of such shareholders and their folio number or DP ID-Client ID with their shares liable to be transferred to the IEPF suspense Account.

The shareholders may please note that after the above shares which will be credited in the DEMAT accounts of the IEPF Authority then such shares will not be available to the shareholderforsale or transfer or dealt with in any manner except as per the process and provisions as prescribed in the aforementioned rules of section 124(6) of the Companies Act. 2013.

Please also note that both the unclaimed dividends and corresponding shares including all future benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF Authority can be claimed back from IEPF authority after following the procedure prescribed in the aforesaid rules.

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Demat Account, may note that the Company would issue the duplicate share certificate(s), in lieu of original share certificate(s) held by the shareholders, after issue of duplicate shares certificates, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate shares certificates into Demat form and transfer in favour of Authority. In respect of shares held in demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority.

The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend for the financial year 2010-11(Final Dividend) and onward by making an application to the Company/RTA by 25th October, 2018, falling which their shares shall be transferred to IEPF Demat Account. For claiming the unclaimed dividend or in case you need any information/clarification, please write to Karvy Computershare Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent of the Company or email at cs@ace-cranes.com.

For Action Construction Equipment Limited

Sd/-

Anil Kumar Company Secretary

Date : 30" July, 2018 Place : Palwal

oried (-5

S) rd Md 10 er e 160 th はるはいりに

the gust ited the

web the y's and

ent ted

id/-

wia

агу

to

ns

रोहतक, झजर रेवाड़ी, चरखी दादरी, लुधियाना, भरतपुर, अलवर, अमृतसर, ग्वालियर, पंटियाला, बीकानेर एवंव गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न शेल्टर होम, चाइल्ड केयर

हे

6

डॉ

ता

नाना कस-3, थाना कासना, थाना सूरजपुर में दर्ज है। एसएसपी ने -बताया कि बरामद बच्चों का मेडिकल कराने के बाद उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को सुपुर्द किया गया है।

A K D A

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC053860

पंजी. कार्यालय : दुघोला लिंक रोड, दुघोला, जिला पलवल—121102, हरियाणा फोन : +91—1275—280111 (50 लाइन्स), फैक्स : +91—1275—280133, वेब : www.ace-cranes.com ई—मेल आईडी : cs@ace-cranes.com

सुवना

कम्पनी के इक्विटी शेयर्स का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) डीमैट खाते में अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 की उप-धारा (6) के प्रावधान तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016, जिसमें उसके संशोधन तथा पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु कम्पनी वे सभी शेयर, जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2010—2011 से सात लगातार वर्षों या अधिक हेतु लाभांश (अंतिम लाभांश) का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसकी मांग नहीं की गई है, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ़) के नाम नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2018 है तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखांपरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016, जिसमें उसके संशोधन तथा पुनर्अधिनियमने शामिल हैं, के अनुसार अंतरित कर देगी।

तदनुसार, कम्पनी उन समस्त संबंधित शेयरधारकों को, कम्पनी /रजिस्ट्रार ऐण्ड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए) रिकार्ड्स में पंजीबद्ध उनके पते पर सूचना भेज चुकी है, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के संबंधित खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी पूर्ण विवरण वेबसाइट एंबम बतदमेण्ववउ पर भी अपलोड कर चुकी है, जिसमें उन शेयरधारकों का नाम उनका फोलियों नंबर अथवा डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी तथा आईईपीएफ उचिन्त खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों का ब्योरा दिया गया है।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि उपरोक्त शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में क्रेडिट किए जाने के पश्चात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रापक्षानों तथा प्रक्रिया के सिवाय किसी भी रूप में बिक्री या अंतरण या संव्यवहार के लिए शेयरधारक को उपलब्ध नहीं होंगे।

कृपया यह भी नोट करें कि मांगा नहीं गया लाभांश और संगत शेयर, उन शेयरों पर होने वाले सभी लाभों, यदि कोई, सहित, एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के बाद उपरोक्त नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया अपना कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं, नोट करें कि कम्पनी शेयरधारकों द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रा) के रथान पर अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करेगी, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिपोंजिटरी को अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी डीमैट रूप में परिवर्तित करने और प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी। डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिपोंजिटरी को शेयरधारकों के शेयर प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2010—2011 और उसके बाद की अवधि हेतु मांगा नहीं गया जामांश (अतिम लामांश) कम्पनी / आरटीएस को आवेदन देकर 25 अक्टूबर, 2018 तक मांग लें, जिसमें असफल रहने पर उनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। मांगे नहीं गए लामांश की मांग के लिए अथवा यदि आपको किसी जानकारी / स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कृषया कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रिजस्ट्रार ऐण्ड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट को अथवा cs@ace-cranes.com को लिखें।

वास्ते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

हस्ता./-

अनिल कुमार कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 30 जुलाई, 2018

रथान : पलवल